



सत्यमेव जयते

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/SER-1377/MCOL/2/2024-SSW-RU-IV

दिनांक: 28.01.2026

To

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,  
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,  
संकटोरिया, पोस्ट -दिशेरगढ़,  
जिला -पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल - 713333  
E.mail: cmd.ecl.cil@coalindia.in

विषय: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारी का उत्पीड़न करने के संबंध में -श्री परमहंस प्रसाद, राष्ट्रीय महासचिव, सिस्टा, कोलकाता का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय

*28.01.2026*

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)

उप सचिव / Deputy Secretary

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

**Shri Paramhans Prasad,**  
National General Secretary,  
CISTEA,  
AF-III, Action Area,  
1A, New Town, Rajar Hat,  
Kolkata (West Bengal) - 700156,  
(Mobile No:9406711733)

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading



**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-1377/MCOL/2/2024-SSW

अभ्यावेदक श्री परमहंस प्रसाद, राष्ट्रीय महासचिव, सिस्टा, कोलकाता से प्राप्त अभ्यावेदन ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारी का उत्पीड़न करने संबंधी मामले में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2025 को आयोग के मुख्यालय, नई दिल्ली में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 24.12.2025 को 03:10 बजे  
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-1 के अनुसार

श्री परमहंस प्रसाद, राष्ट्रीय महासचिव, सिस्टा (SISTA), कोलकाता द्वारा दिनांक 14.05.2024 को आयोग में प्रस्तुत अभ्यावेदन में यह आरोप लगाया गया है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति की कर्मचारी श्रीमती सुलेखा कोले, सिक्वोरिटी गार्ड, को कथित रूप से गलत तरीके से निलंबित किया गया तथा तत्पश्चात उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई। यह भी अभ्यावेदन किया गया है कि बाद में उन्हें "लंबित जांच" के आधार पर पुनः कार्य पर नियुक्त कर दिया गया, किंतु उनके विरुद्ध संचालित विभागीय जांच का अंतिम निर्णय प्रशासन द्वारा अब तक नहीं दिया गया है। अतः, जांच के अंतिम निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रकरण में तथ्यों की जानकारी हेतु आयोग द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को दिनांक 22.05.2024 को नोटिस जारी किया गया।

3. मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा शिकायतकर्ता के निरंतर अनुरोध पर आयोग द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ सुनवाई निर्धारित की गई तथा तदनुसार उन्हें सिटिंग नोटिस दिनांक 18.12.2025 को जारी किया गया। अभ्यावेदक को भी उक्त सुनवाई की सूचना विधिवत प्रदान की गई।

4. सुनवाई में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से संबंधित अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, जबकि अभ्यावेदक सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे।

5. सुनवाई के दौरान ईसीएल की ओर से उपस्थित अधिकारियों ने अवगत कराया कि श्रीमती सुलेखा कोले (सिक्वोरिटी गार्ड, U-Man No. 196757, केन्दा क्षेत्र) के विरुद्ध दिनांक 04.11.2020 को आरोप पत्र एवं निलंबन

*आशा लकड़ा*

आदेश जारी किया गया। आरोप यह था कि नए आवंटित क्वार्टर NHS/2/14 में स्थानांतरित होते समय उन्होंने पूर्व में आवंटित क्वार्टर LCH/027/08 को प्रबंधन को विधिवत रूप से हैंडओवर नहीं किया तथा निरीक्षण के दौरान पुराने क्वार्टर में दरवाजे एवं खिड़कियाँ अनुपस्थित पाई गई थीं। श्रीमती कोले द्वारा प्रस्तुत उत्तर को प्रारंभिक रूप से असंतोषजनक पाया गया, तथापि विभागीय प्राधिकारी द्वारा विभागीय जांच लंबित रहते हुए उन्हें ड्यूटी ज्वॉइन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके पश्चात, नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित पाया गया। जांच प्रतिवेदन पर विचारोपरांत, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल "चेतावनी" का दंड प्रदान किया गया तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति न करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार, आरोप पत्र से संबंधित प्रकरण का विधिवत निस्तारण कर दिया गया है।

**6. सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा मामले में निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं :**

- i. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती सुलेखा कोले के विरुद्ध जारी आरोप पत्र पर विभागीय जांच विधिवत रूप से संपन्न की जा चुकी है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन पर विचारोपरांत सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल "चेतावनी" का दंड प्रदान कर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है।
- ii. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रकरण का विधिवत निपटारा हो गया है अतः मामला आयोग में बंद किया जाता है।

*आशा लकड़ा*  
*20/01/2026*

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra  
सदस्य / Member  
भारत सरकार / Government of India  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
नई दिल्ली / New Delhi

Attendance Sheet  
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1377/MCOL/2/2024-SSW-RU-IV

Sitting to be held on 24.12.2025 at 3.10 P.M - ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारी का उत्पीड़न करने के संबंध में श्री परमहंस प्रसाद, राष्ट्रीय महासचिव, सिस्टा, कोलकाता का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
<b>I National Commission for Scheduled Tribes</b>			
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
<b>II Officers from O/o Chairman cum Managing Director, Eastern Coalfields Ltd, Paschim Bardhman, West Bengal.</b>			
1.			
2.	NAZRUL ISLAM	24/11/25	
3.			
4.			
5.			
6.			
<b>III Petitioners</b>			
1.			
2.			